न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 3/24 GCMS NO 2024/8

1. नरेश
2. महेन्द्र पिसरान रामकिशन जातियान जांगिड निवासी ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. उदयचंद पुत्र रामकिशन जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. रामकिशन पुत्र जौहरीलाल जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. कविता पुत्री रामकिशन पत्नि लालाराम जाति जांगिउ निवासी ग्राम खेडी हालवासी ग्राम कालाखो तहसील सिकराय जिला दौसा
4. सविता पुत्री रामकिशन पत्नि ललित जाति जांगिड निवासी ग्राम खेडी हालवासी ग्राम कालाखो तहसील सिकराय जिला दौसा
5. बबीता पुत्री रामकिशन पत्नि मनोज जाति जांगिड निवासी ग्राम खेडी हाल वासी ग्राम खेडली जिला दौसा
6. कामेरी पुत्री रामकिशन पत्नि [illegible] जाति जांगिड निवासी खेडी हालवासी निठार मायदपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर
7. जगमोहन पुत्र मनोहरी
8. वक्शीराम पुत्र मिश्रा
9. संतोष पुत्र परभाती
10. हरि उर्फ हरीश पुत्र परभाती
11. विष्णु पुत्र परभाती जातियान जांगिड निवासी ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
12. पुरूषोतम पुत्र परभाती जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
13. रामदेई पत्नि परभाती जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
14. अनीता पुत्री परभाती पत्नि विष्णु जाति जागिड निवासी खेडी हालवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
15. कुसुम पुत्री परभाती पत्नि राजेन्द्र जाति जांगिड निवासी खेडी हालवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
16. विमलेश पुत्री परभाती पत्नि भगवानसहाय जांगिड निवासी खेडी हालवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
17. बेवी पुत्री परभाती पत्नि विजय जांगिड निवासी खेडी हालवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
18. उप पंजीयक तहसील टोडाभीम जिला करौली
19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील टोडाभीम जिला करौली
20. शाखा प्रबंधक बैक आफ बड़ौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली

रैस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

(अपील विरूद्व मु0नं0 98/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 1[illegible]23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सीताराम गुर्जर

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मनोज शर्मा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 28.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 10.2.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी ,नल एण्ड बोईड करार दिये जाने विकय पत्र दिनांक 25.1.22 बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम मिर्जापुर की आराजी खसरा न0 973 रकबा 0.33, 944 रकबा 0.01, 947 रकबा 0.61, 948 रकबा 0.24, 958 रकबा 0.12, 961 रकबा 0. 11962 रकबा 0.01 कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है0 साबिक खसरा न0 437 मिन से बना है। इसी प्रकार ग्राम मेरेडा के हाल खसरा न0 904 रकबा 0.01, 905 रकबा 0.34 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 साबिक खसरा न0 446 से बना है। उक्त ग्राम मिर्जापुर की आराजीयात मे प्रतिवादी न0 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 8 ता 18 के पूर्वज मिश्रा का 1/2 हिस्सा रहा है। प्रतिवादी न0 1 को उसके 1/2 भाग की आराजी जो वादी एवं प्रतिवादी न0 2 ता 7 के बाबा एवं प्रतिवादी न0 1 के पिता मृतक जौहरीलाल उर्फ जौहरया के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है। प्रतिवादी न0 1 को उक्त आराजीयात विरासत मे मिली है। जो हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति रही है। वादी एवं प्रतिवादी न0 2 ता 7 के पूर्वज जौहरी लाल उर्फ जौहरया के पौत्र पौत्री है। जिनके मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम बाबा की सम्पति मे जन्म लेते ही अधिकार पैदा हो गये है। इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 के 1/2 हिस्से मे दर्ज आराजी जो हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति है मे वादी व प्रतिवादी न0 2 ता 7 प्रतिवादी न0 1 सहिस्सेदार खातेदार काश्तकार है और उक्त आराजी मे अपना बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी न0 1 का मात्र 1/8 हिस्सा बनता है एवं वादी का 1/8 हिस्सा बनता है और वादी मुताबिक सजरा खानदान उक्त आराजी मे 1/8 हिस्से की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड मे अपने हक मे करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी न0 1 काफी वृद्व व्यक्ति है। जिसके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। इसलिए प्रतिवादी न0 1 की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे वादी व प्रतिवादी न0 4 ता 7 के विरुद्व बिना प्रतिफल अदा किये उसके नाम हो रही 1/2 हिस्से की गलत खातेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने हक मे दो विकय पत्र दिनांक 25.1.11 पंजीवद्व करा दिये। जो फर्जी एवं गलत है। जो वादी को नुकसान पहुँचाने की गरज से किये गये है। जो मुकाबले वादी प्रभावहीन व शून्य है और वादी उक्त दोनों विकय पत्रो को अपने 1/8 हिस्से तक नल एण्ड बोईड घोषित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी न0 2 व 3 ने उक्त गलत फर्जी किता 2 विकय पत्र दिनांक 25.1.11 के आधार पर गुपचुप तरीके से अपने हक मे 1/2 हिस्से की गलत खातेदारी दर्ज करवा ली है और आराजी मद न0 1 व 2 वाद पत्र को प्रतिवादी न0 21 के यहॉ रहन रखकर लोन प्राप्त कर लिया है। वाद पत्र मे वर्णित आराजी मुतवादियान [illegible] प्रतिवादी न0 1 का मात्र 1/8 हिस्सा था और प्रतिवादी न0 1 केवल अपने 1/8 [illegible] का अधिकार था। इसके बाबजूद भी प्रतिवादी न0 1 ने गलत तरीके से वादी एवं प्रतिवादी न0 4 ता 7 के हिस्से का बिलकुल बेचान किया है। जिसका प्रतिवादी न0 1 को कोई हक नही है। वाद पत्र मे वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात का पूर्वजो के समय से ही बाहमी बंटवारा हो रहा है। लेकिन विधिवत बंटवारा नही होने से वादी एवं प्रतिवादीगण मे आये दिन डोल मेड को लेकर विवाद बना रहता है। वादी उक्त बाहमी बंटवारे के समय से ही आज तक अपने 1/8 हिस्से पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। दिनांक 10.4.19 को जब वादी को प्रतिवादी न0 1 ता 3 जालसाजी की जानकारी हुई तब वादी ने प्रतिवादी न0 1 ता 3 से कहा कि तुमने आराजीयात को गलत एवं फर्जी तरीके से पंजीवद्व करा लिया है को वादी एवं प्रतिवादी न0 4 ता 7 के हिस्से तक न्यायालय मे चलकर नल एण्ड बोईड करवा लो एवं वादी एवं प्रतिवादी न0 4 ता 7 के हक मे उनके अलग अलग 1/8, 1/8 हिस्से की खातेदारी करवा दो एवं भूमि का हिस्सा बंटवारा करा दो तो प्रतिवादी न0 1 ता 3 नाराज हो गये और वादी से भूमि मे वादी के हिस्से की खातेदारी करवाने से इंकार हो गये। इसलिए दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत घोषणाा खातेदारी नल एण्ड बाईड करार दिये जाने दो किता विक्रय पत्र दिनांक 25.1.11 डिक्री किया जाकर इस अमर की घोषणा की जावे कि ग्राम मेरेडा के हाल खसरा न0 904 रकबा 0.01, 905 रकबा 0.34 है0 तथा ग्राम मिर्जापुर की आराजी खसरा न0 973 रकबा 0.33, 944 रकवा 0.01, 947 रकबा 0.61, 948 रकबा 0.24, 958 रकबा 0.12, 961 रकबा 0.11, 962 रकबा 0.01 मे वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तकासमा प्रिमिलरी डिक्री पारित की जाकर वाद के 1/8 हिस्से की सरस नरस अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के हिसाब से तकासमा करवाया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादी न0 21 से जो लोन प्राप्त किया है उसकी अदायगी केवल प्रतिवादी न0 2 व 3 के हिस्से की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र दिनांक 26.8.22 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर प्रतिवादी न0 1 द्वारा किये गये विक्रय पत्र दिनांक 25.1.11 किता 2 को वादी के 1/8 हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किया जाकर ग्राम मिर्जापुर व ग्राम मेरेडा की आराजीयात मे प्रतिवादी न0 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि मे से 1/8 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बंटवारा स्कीम तलब कर मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री पारित किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय व डिक्री जैर अपील अधिनस्थ न्यायालय विधि एव नियम विरूद्व मनमाने तौर पर पारित होने के कारण काबिल मंसूखी है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने [illegible] आराजीयात वर्णित मद न0 1 व 2 वादपत्र को पैतृक कृषि भूमि मानकर दावा पेश किया [illegible] विवादित आराजीयात का पैतृक होने का कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किया है। वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक भूमि नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व मनमाने तरीके से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की है। जो निरस्त योग्य है। वादी उदयचंद अपने पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

रामकिशन पुत्र जौहरीलाल के जीवित रहते विवादित आराजीयात के बाबत घोषणा व बंटवारा के लिए दावा लाने का कानूनन अधिकारी नही होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय उक्त दावे को सुना जाकर विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान किया है जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादी / रामकिशन / रेस्पो0 न0 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम मेरेडा खसरा न0 904 रकबा 0.01 है, 905 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 मे से अपना 1/2 भाग यानि 17.05 है0 भूमि को बिल एबज 1.00 लाख रूपये मे व ग्राम मिर्जापुर स्थित आराजीयात ख0न0 943 रकबा 0.33 है0, 944 रकबा 0.01 है0, 947 रकबा 0.61 है0, 948 रकबा 0.24 है0, 958 रकबा 0.12 है0, 961 रकबा 0.11 है0, 962 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है0 मे से 1/2 भाग यानि 71.5 है0 भूमि 3.00 लाख रूपये मे अपनी पारिवारिक आवश्कताओ की पूर्ति ,आर्थिक समस्या समाधान हेतु जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.1.11 को अपीलार्थीगण को विकय कर कब्जा उनको संभलवाया है। तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण को नाम राजस्व रिकार्ड मे जरिये नामा0 दर्ज हुआ है जिस पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त है। रजिस्टर्ड विकयपत्रो दिनांक 25.1.11 को नल एण्ड बोईड करार दिये जाने /निरस्त किये जाने का कानूनन राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है, सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। इसलिए निर्णय व डिकी जैर अपील काबिले निरस्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये कमिश्नर मंगवाई गई मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार श्रीमहावीरजी के हस्ताक्षर नही है और ना ही तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान मुकदमा वादीगण व प्रतिवादीगण की मौजूदगी मे भूमि की नाप तोलकर कोई बंटवारा रिपोर्ट तीन प्रतियो मे तैयार की गई है। प्रकरण मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव फर्जी व बनावटी है कि जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा वसाज वादी/रेस्पो0 उदयचंद अपने आफिस मे बैठकर तैयार की गई है उक्त मौका रिपोर्ट पर किन्ही स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर भी नही है। उक्त गलत मौका रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय ने भरोसा कर विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान की है। जो काबिले निरस्तनीय है। विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.22 को तैयार करना हल्का पटवारी व आई एल आर करीरी द्वारा अंकित है दिनांक 11.11.22 को विवादित आराजीयात एवं समीप स्थित आराजीयात मे फसल खडी हुई थी , कानूनन कृषि भूमि पर खडी फसल के दौरान भूमि की पैमाईश/नापतोल किया जाना न्यायसंगत नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर व मनन किये बगैर गलत व बनावटी मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान किया है जो काबिजे निरस्तनीय है। वादी उदयचंद की और से प्रस्तुत साक्षी शिवकुमार शर्मा, रविन्द्र कुमार मीना, वादी /रेस्पो0 उदयचंद के मिलने वाले प्रेम व्यक्ति है कि जिनका कोई खेत विवादित आराजीयात के आप पास स्थित नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त हितवद्व साक्ष्यो पर भरोसा फरमाकर विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान किया है जो कि काबिले मंसूखी है। वादी ने प्रतिवादी न0 19,20,21 को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 म्यादी [illegible] दावा दायर नही किया है नोटिस के अभाव मे दावा वादी कानूनन मेन्टेवल नही [illegible] रिज योग्य है। इसलिए निर्णय व डिकी जैर अपील काबिल मंसूखी है। दावा [illegible] प्रतियो मे प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर वादी कर शपथपत्र के साथ प्रस्तुत नही होने से दावा वादी कानूनन मेन्टेवल नही होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुना जाकर विधि एवं नियम विरूद्व निर्णित कर निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण व वादी उदयचंद अपनी अपनी शादी सम्पन्न हो जाने के वाद से ही अलग अलग रहकर अपना अलग अलग कारोबार कर रहे है , अपीलार्थीगण व वादी उदयचंद के पिता रामकिशन पर पारिवारिक जिम्मेदारियो के कारण कर्ज बढ गया था, रामकिशन द्वारा गुलाब मीना निवासी मेरेडा से लिये गये कर्ज के चुकारे हेतु रामकिशन ने अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि स्थित ग्राम मेरेडा व मिर्जापुर को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र अपीलार्थीगण को विकय कर प्राप्त राशि से गुलाब मीना का कर्जा चुकाया है। वादी/रेस्पो0 उदयचंद ने वादग्रस्त आराजीयात को उसे व अन्य पक्षकारान को जौहरीलाल उर्फ जौहरया से विरासत मे मिलना वादपत्र मे दर्ज किया है जबकि वादी द्वारा मृतक जौहरीलाल की कानूनी वारिसान पुत्रियो नब्बो, चावली , शांति एवं मुक्ति को आवश्यक पक्षकार होने पर भी दावा मे पक्षकार मुकदमा नही बनाया है जिसके अभाव मे दावा वादी कानूनन मेन्टेवल नही है इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान किया है जो काबिले मंसूखी है। विवादित आराजीयात के किसी भी भाग पर उदयचंद/वादी का कब्जा नही है और ना ही कभी रहा है। मौजूदा मे अपीलार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि स्थित ग्राम मेरेडा मे गेहूँ की फसल व मिर्जापुर मे स्थित भूमि मे सरसो की फसल काश्त की गई है जो कि सरसब्ज खडी हुई है। कब्जे के अभाव मे दावा वादी मेन्टेवल नही होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान किया है जो काबिजे निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण द्वारा सुनील कुमार जिंदल अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय मे नियुक्त किये गये थे जिन्होने अपीलार्थीगण को यह कहकर विश्वास दिलाया था कि तुम्हारा पक्ष मजबूत है ,मामला रेवेन्यू से संबंधित है जो कि लम्बा चलता है आपको हर पेशी पर आने की आवश्यकता नही है । अपीलार्थीगण अपने वकील द्वारा दिये गये आश्वासन पर आश्वस्त थे इसलिए अधिनस्थ न्यायालय मे तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो पाये। अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा टेलीफोन पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 22.11.23 को टोडाभीम जाकर अपने वकील से सम्पर्क करने व पूछने पर उनके द्वारा बताया कि प्रकरण का निस्तारण उनकी गैरहाजरी मे उनके खिलाफ हो गया है तब अपीलार्थीगण द्वारा निर्णय व डिकी जैर अपील व अन्य कागजात की प्रति प्राप्त होने पर दिनांक 23.11.23 को विस्तृत जानकारी हुई। जानकारी होने पर कानूनी सलाहकारो से सलाह लेकर व आवश्यक संसाधन जुटाकर अपील अपीलार्थीगण अन्दर अवधि प्रस्तुत की गई है प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न किया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 98/19 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10.2.23 निरस्त किया जाकर दावा वादी/रेस्पो0 न0 1 अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन है कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी/रेस्पो0 स्वयं की पैतृक आराजीयात नही है जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक आराजीयात है। वादी प्रतिवादी न0 1 का पुत्र है और वादग्रस्त आराजीयात वादी के पूर्वज जौहरीलाल उर्फ जौहरया के नाम दर्ज नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:38:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है जो जरिये विरासत प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक आराजी राजस्व रिकार्ड से भी बखूबी साबित है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी के हक एवं अधिकार वादी के जन्म लेने से ही समाहित हो गये है। इसलिए वादी को उक्त आराजीयात का बंटवारा कराने का पूर्ण अधिकार हासिल है। किसी भी भूमि का विधिवत बंटवारा कराये बिना किये गये विक्रय पत्रो को राजस्व न्यायालय द्वारा भी प्रभावशून्य घोषित किया जा सकता है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रभावशून्य घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की अपील अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नही की है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि बंटवारा स्कीम मौके पर जाकर तैयार नही की कई है जबकि सत्यता यह है कि बंटवारा कमिश्नर द्वारा विधिवत रूप से मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि मौके पर खडी फसल के दौरान बंटवारा स्कीम तैयार नही की जा सकती है जबकि बंटवारा कमिश्नर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशान्तर्गत मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है। कानूनन इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है कि खडी फसल के दौरान बंटवारा स्कीम तैयार नही की जा सकती जबकि यह प्रावधान सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी जैसे प्रकरणो पर प्रभावी होता है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि मौके पर वादी/रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही है जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक आराजीयात होने से उस पर वादी का अपने हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादी फसल काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के निर्णय के लगभग 10 माह के बिलम्ब से पेश की गई है अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे बिलम्ब का कोई विधिक एवं उचित कारण का उल्लेख नही किया है जबकि अपील पेश करने मे हुए बिलम्ब की अवधि के एक एक दिवस का विधिवत रूप से कारण का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को नही थी। जबकि सत्यता यह है कि निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को उसी दिन से बखूबी थी क्योकि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की और से अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था और पत्रावली वास्ते जबाब हेतु नियत की गई थी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त जबाब दावा पेश नही किया गया है तब अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 रामकिशन को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया है। जिस पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 की और से श्री सुनिल कुमार जिंदल अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु न्यायालय द्वारा जबाब दावा पेश करने के अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जबाब दावा पेश नही किया गया। इस प्रकार अपीलांट का जानकारी का कथन मिथ्या साबित तथा अपीलार्थीगण को जैर निर्णय व डिक्री की जानकारी होना बखूबी साबित है। अपीलांट द्वारा बिलम्ब से अपील पेश करने का कोई विधिक कारण का उल्लेख धारा 5 मियाद अधिनियम मे नही किया है इसलिए अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना उचित नही होने से अपीलांट की अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किये जाने योग्य है। बंटवारा स्कीम तैयार करने से पूर्व बंटवारा कमिश्नर द्वारा विधिवत रूप से पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर मौके पर नियत दिनांक को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया है। अपीलांटगण बाबजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नही हुए है। बंटवारा कमिश्नर द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियो के समक्ष बंटवारा स्कीम कब्जे काश्त अनुसार तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा स्कीम का विधिवत रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि जमाबंदी ग्राम मिर्जापुर सम्वत 2039–42 प्रदर्श 3 के अनुसार खसरा न0 437 रकबा 5 बीघा 14 विस्वा की खातेदारी मिश्रा,जौहरी पिसरान सुक्का कौम खाती सा.खेडी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जौहरी के फौत होने पर जौहरी की विरासत का नामा0 संख्या 287 दिनांक 30.4.86 से जौहरी के बजाय रामकिशन पुत्र जौहरी के नाम का नोट अंकित है। इससे साबित है कि उक्त आराजीयात रामकिशन की पैतृक आराजीयात रही है। इसी प्रकार ग्राम मरेडा की जमाबंदी सम्वत 2041 से 44 प्रदर्श 7 के अनुसार खसरा न0 446 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा की खातेदारी मिश्रया,जौहरया पिसरान सुक्का जाति खाती निवासी खेडी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे मृतक जौहरया के फौत होने पर विरासत का नामा0 संख्या 284 दिनांक 2.4.86 मृतक जौहरया के स्थान पर रामकिशन पुत्र जौहरी हिस्सा 1/2 का नोट अंकित है। गवाह पी डब्लू 2 व पी डब्लू 3 से भी स्पष्ट है कि वादी उदयचंद प्रतिवादी न0 1 का जायन्दा पुत्र है। वादी द्वारा सजरा अनुसार प्रतिवादी न0 1 रामकिशन पुत्र जौहरया की आराजी मे अपना 1/8 हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा गया था। वादी को अपनी पैतृक सम्पति मे जन्म से ही अधिकार हासिल चुके है। प्रतिवादी न0 1 को अपने पिता जौहरी लाल उर्फ जौहरया से विरासत मे प्राप्त आराजीयात का विक्रय पत्र प्रतिवादी 2 व 3 को दिया गया है जो वादी के हिस्से तक बेअसर एवं प्रभावशून्य योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादी न0 1 द्वारा प्रतिवादी न0 2 व 3 को किये गये विक्रय पत्र को वादी के 1/8 हिस्से तक प्रभावशून्य विधिवत रूप से किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मिर्जापुर की आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है0 एवं ग्राम मेरेडा की आराजी कुल किता 2 कुल रकंबा 0.35 है0 मे प्रतिवादी न0 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि मे से 1/8 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम बंटवारा कमिश्नर से प्राप्त की जाकर मुताबिक बंटवारा स्कीम वाद पत्र डिक्री किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन साबित नही है कि बंटवारा कमिश्नर द्वारा आफिस मे बैठकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है जबकि पत्रावली मे उपलब्ध नोटिस से ज्ञात है कि बंटवारा कमिनश्न तहसीलदार द्वारा बंटवारा स्कीम बनाने हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सूचित किया गया है। इसी प्रकार अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि बंटवारा स्कीम पर स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर नही है। पत्रावली मे शामिल बंटवारा स्कीम मे स्वतंत्र गवाहो के रूप मे रामनिवास पुत्र गंगा व छुट्टन लाल पुत्र जगन्नाथ के हस्ताक्षर मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

बंटवारा कमिश्नर द्वारा बंटवारा स्कीम मौके एवं कब्जे के अनुसार विधिवत रूप से तैयार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा स्कीम एवं सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 98/19 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.2.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बसीगे अपील
(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure code, Appendix G)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर
बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. नरेश
2. महेन्द्र पिसरान रामकिशन जातियान जांगिड निवासी ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. उदयचंद पुत्र रामकिशन जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. रामकिशन पुत्र जौहरीलाल जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. कविता पुत्री रामकिशन पत्नि लालाराम जाति जांगिउ निवासी ग्राम खेडी हालवासी ग्राम कालाखो तहसील सिकराय जिला दौसा
4. सविता पुत्री रामकिशन पत्नि ललित जाति जांगिड निवासी ग्राम खेडी हालवासी ग्राम कालाखो तहसील सिकराय जिला दौसा
5. बबीता पुत्री रामकिशन पत्नि मनोज जाति जांगिड निवासी ग्राम खेडी हाल वासी ग्राम खेडली जिला दौसा
6. कामेरी पुत्री रामकिशन पत्नि प्रकाश जाति जांगिड निवासी खेडी हालवासी निठार मायदपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर
7. जगमोहन पुत्र मनोहरी
8. वक्शीराम पुत्र मिश्रा
9. संतोष पुत्र परभाती
10. हरि उर्फ हरीश पुत्र परभाती
11. विष्णु पुत्र परभाती जातियान जांगिड निवासी ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
12. पुरूषोतम पुत्र परभाती जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
13. रामदेई पत्नि परभाती जाति जांगिड निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
14. अनीता पुत्री परभाती पत्नि विष्णु जाति जागिड निवासी खेडी हालवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
15. कुसुम पुत्री परभाती पत्नि गजेन्द्र [illegible] जांगिड निवासी खेडी हालवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
16. विमलेश पुत्री परभाती पत्नि भगवानसहाय जांगिड निवासी खेडी हालवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
17. बेवी पुत्री परभाती पत्नि विजय जांगिड निवासी खेडी हालवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
18. उप पंजीयक तहसील टोडाभीम जिला करौली
19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील टोडाभीम जिला करौली
20. शाखा प्रबंधक बैक आफ बडौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

रेस्पो0

अपील संख्या 3/202 : ।निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम दिनांक 10.2.23 घोषणा खातेदारी ,नल एण्ड बोईड करार दिये जाने विक्रय पत्र दिनांक 25.1.22 बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 3/24 व तारीख 28.01.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सीताराम गुर्जर अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री मनोज कुमार शर्मा उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम प्रकरण संख्या 98/19 निर्णय व डिकी दिनांक 10.2.23 की पुष्टि की जाती है।

आज बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28.01.26 को जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

खर्चा अपील

अपीलांट	रुपये	पैसे		रुपये	पैस
स्टाम्प अपील	----	----	स्ट[illegible] वकालतनामा	----	----
स्टाम्प वकालतनामा	----	----	स्टा[illegible] अर्जी	----	----
इजराय हुक्मनामा	----	----	इजराय हुक्मनामा	----	----
वकील फीस बाबत	----	----	महन्ताना वकील	----	----